नगर निगम, झाँसी।

बैठक का स्थान – नगर निगम प्रशासनिक भवन स्थित
महारानी लक्ष्मीबाई सभाकक्ष
समय 11:00 बजे पूर्वान्ह

नगर निगम सदन की बैठक दिनांक 31.03.2015 की कार्यवृत्त

नगर निगम सदन की बैठक नगर निगम स्थित प्रशासनिक भवन के महारानी लक्ष्मीबाई सभाकक्ष में मा0 महापौर श्रीमती किरन राजू बुकसेलर की अध्यक्षता में उपस्थित मा0 सदस्यों के कोरम पूरा होने पर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक में श्री रवि शर्मा मा0 विधायक सदर/पदेन सदस्य, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत मा0 विधायक बबीना/पदेन सदस्य, नगर आयुक्त, कार्य0 अपर नगर आयुक्त, मुख्य अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक, जोनल सेनेटरी ऑफीसर, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, सहायक अभियन्ता (विद्युत), लेखाधिकारी, लेखाकार, सम्पत्ति अधिकारी, सदन प्रभारी आदि उपस्थित रहे। श्री केशव प्रसाद, सदन प्रभारी ने सभाकक्ष में उपस्थित मा0 महापौर, मा0 विधायकगण एवं सभी मा0 पार्षदगणों व अधिकारियों, पत्रकार बन्धुओं का हार्दिक स्वागत किया तथा मा0 महापौर महोदया की अनुमति से सदन की कार्यवाही प्रारम्भ की।

<u>प्रस्ताव संख्या 01</u> :- दिनांक 26.11.2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।
<u>निर्णय</u> :– दिनांक 26.11.2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

<u>प्रस्ताव संख्या 02</u> :- दिनांक 26.11.2014 को सम्पन्न बैठक की अनुपालन आख्या की पुष्टि।
<u>निर्णय</u> :– दिनांक 26.11.2014 को सम्पन्न बैठक की अनुपालन आख्या की पुष्टि की गयी।

<u>प्रस्ताव संख्या 03</u> :- नगर निगम पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रस्ताव पर विचार।

<u>विचार विमर्श</u>:– लेखाधिकारी श्री राजकिशोर ने नगर निगम पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2014–2015 सदन के पटल पर स्वीकृति हेतु विस्तार से पढ़कर सुनाया तथा बताया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 1 करोड़ 95 लाख की वृद्धि प्रस्तावित थी।

श्री आनन्द साहू पार्षद ने कहा पहले एजेण्डे पर चर्चा हो।

मा0 महापौर जी ने कहा कि एजेण्डे (कार्यसूची) में क्रम से चर्चा होनी चाहिये।

<u>निर्णय</u> :– पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2014–2015 ध्वनि मत से पारित किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या 04</u> :- नगर निगम मूल बजट वित्तीय वर्ष 2015–16 के प्रस्ताव पर विचार।
<u>विचार विमर्श</u>:– लेखाधिकारी श्री राजकिशोर ने नगर निगम मूल बजट वित्तीय वर्ष 2015–2016 सदन के पटल पर स्वीकृति हेतु विस्तार से पढ़कर सुनाया।

Verma
06-4-15

श्रीमती किरन राजू बुकसेलर
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

4. मद सं0 2040107 **सौर ऊर्जा मार्ग प्रकाश** में रू 80 लाख तथा मद सं0 2040108 **यातायात दिशा दर्शक** हेतु रू 25 लाख का प्राविधान किया गया है।

5. मद सं0 2040503 **पार्क उद्यान निर्माण पूंजीगत व्यय** में नगर के पार्क निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु रू 100 लाख का प्राविधान किया गया है।

6. समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यों हेतु बजट मद सं0 20605 **सामुदायिक केन्द्र/विश्राम गृह निर्माण** हेतु रू 70 लाख का प्राविधान किया गया है।

7. मद सं0 20613 **श्मशान घाट/कब्रिस्तान निर्माण एवं मरम्मत** हेतु रू 100 लाख का प्राविधान किया गया है।

8. मद सं0 20706 से 20709 तक **वार्षिक मरम्मत सड़क निर्माण/रख–रखाव** तथा **नाली निर्माण/रख–रखाव कार्य** हेतु रू 300 लाख का व्यय प्रस्तावित किया गया है। जिसके अन्तर्गत समस्त वार्डों में मा0 पार्षदगणों के परामर्श से छोटी–छोटी मरम्मत एवं निर्माण कार्य कराया जाना सम्मिलित है।

9. मद सं0 20904 **पुस्कालय एवं संग्रहालय निर्माण/रख–रखाव** में रू 30 लाख का प्राविधान किया गया है।

10. नगर विकास हेतु भारत सरकार की मंशा के अनुरूप सर्विस लेबिल बैंच मार्क के अन्तर्गत मूलभूत सुविधायें एवं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हेतु मद सं0 24101 **13वां वित्त आयोग निधि में** रू 1450 लाख का व्यय प्राविधान किया गया है।

11. मद सं0 2410209 **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन/यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी** में रू 200 लााख का प्राविधान, यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी मद के अन्तर्गत किया गया है।

12. नगर की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाने हेतु भारत सरकार की योजनान्तर्गत मद सं0 24105 **जे.एन.एन.यू.आर.एम (शहरी यातायात)** में रू 3500 लाख का प्राविधान किया गया है।

13. राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि के अन्तर्गत मद सं0 2420101 **सड़क नाली निर्माण/रख–रखाव** हेतु रू 2800 लाख का प्राविधान किया गया है।

14. नगर की समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु मद सं0 2420104 **मार्गप्रकाश सामग्री** में रू 150 लाख व्यय का प्राविधान किया गया है।

15. मूल बजट में विकास कार्यों हेतु प्राविधानित समस्त धनराशि से नगरीय निर्धन विकास निधि का गठन करते हुये उसके सापेक्ष 25प्रतिशत निर्धारित की गई धनराशि रू 1082.50 लाख का अनुमानित व्यय सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत है।

मूल बजट वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 16667.15 लाख कुल आय तथा रू0 16608.45 लाख कुल व्यय प्रस्तावित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 का मूल बजट स्वीकृति प्रस्तुत है।

श्री भरत यादव पार्षद ने कहा कि पिछली बैठक में विद्युत लाइनों के लिए 1 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया था। लेकिन अभी तक खम्भे नहीं लगे है बताया जाये।

Kiran 6-4-15

श्रीमती किरन राजू बुकसेलर
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

श्री कन्हैया कपूर पार्षद ने कहा कि पिछले बजट में वार्डों के छोटे मोटे सड़क निर्माण कार्य करने पेंच वर्क हेतु लेवर रखने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था लेकिन प्रस्ताव पर अमल नहीं हुआ।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि पिछली बैठक में 20–20 हजार रूपये से छोटे–छोटे मरम्मत के कार्य कराने की अनुमति दी गयी थी।

श्री कन्हैया कपूर पार्षद ने कहा कि महीने में हर पार्षद की संस्तुति पर 1 या 2 कार्य कराये जायें।

श्री भरत यादव पार्षद ने कहा कि वार्ड में पार्क की बाउण्ड्री के लिए कई बार प्रस्ताव दिया लेकिन अभी तक कार्य नहीं कराया गया।

श्री रवि शर्मा विधायक जी ने कहा कि इस मद में वृद्धि की जाये, ताकि सभी पार्कों का सुन्दरीकरण हो सके।

<u>निर्णय</u> :– मूल बजट वित्तीय वर्ष 2015–2016 ध्वनि मत से पारित किया गया।

श्री कन्हैया कपूर पार्षद ने कहा कि कचहरी चौराहे से बस स्टैण्ड जाने वाले मार्ग पर हैबट मार्केट के पहले सेना की बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा निष्प्रयोज्य रूप से ऊबड़–खाबड़ पड़ा हुआ है। जिसमें अत्यन्त गंदगी और कूड़ा आदि बिखरा रहता है अतः उस जगह पर एक पार्क विकसित करा दिया जाये।

नगर आयुक्त जी ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय के अ.शा.पत्र सं0 551/ओ.एस.डी दिनांक 30.03.2015 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त जगह पर सेना की बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा निष्प्रयोज्य रूप से रिक्त पड़ा हुआ है। जिसमें अत्यन्त गंदगी और कूड़ा आदि बिखरा रहता है, क्योंकि उससे सटी हुयी घनी आबादी लगी हुयी है इस विषय पर मा0 जिलाधिकारी महोदय व जी.ओ.सी. महोदय से वार्ता हुयी और यह सहमति बनी कि सेना द्वारा उपरोक्त स्थल को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से एक बेहत्तर पार्क के रूप में विकसित करा दिया जाये। उन्होनें अत्यन्त सहयोगात्मक रूख रखते हुए उपरोक्त हेतु सैद्धान्तिक सहमति दे दी है और अपने अधिकारियों को इस विषय में प्रोजेक्ट बनाये जाने के लिए निर्दिष्ट किया गया। सेना द्वारा प्रोजेक्ट बना लिया गया है। पार्क को जन उपयोगी सुविधा के रूप में विकसित किये जाने के लिए प्रारम्भिक रूप से रू 77.00 लाख का आगणन बनाया गया है जिसमें नगर निगम की ओर से प्रोजेक्ट (सेना द्वारा विकसित किये जाने वाले पार्क) लागत के विषय में न्यूनतम रू 30.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराने तथा अवशेष धनराशि झाँसी विकास प्राधिकरण के द्वारा अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किये जाने के उद्देश्य से वहन किया जायेगा के विषय में दिशा निर्देश दिये गये हैं। यह पार्क सड़क मार्ग की पटरी पर स्थित है। मा0 मुख्यमंत्री जी एवं शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गये हैं कि नगर के प्रमुख मार्गों पर "हरितमा और हरित पट्टी" को विकसित किया जाये। उक्त परिपेक्ष्य

Verma
26-4-15
श्रीमती किरन राजू बुकसेले
महापौर
नगर निगम, झाँसी

श्रीमती वन्दना पार्षद ने कहा कि हमारे वार्ड में कुंआ साफ नहीं हुआ लोग कुंए पर बैठकर दारू पीते है।

श्री उदयभान पार्षद ने कहा कि झांसी नगर के सभी वार्डों में कितने कुएं है। नगर निगम कर्मचारी सर्वे करें।

श्रीमती सीमा पार्षद वार्ड नं0 19 ने कहा कि हमारे वार्ड में 2 कुएं है, उनकी सफाई कराई जाये, जिसके लिये दो बार पत्र दिया है। लेकिन अधिकारी कहते है कि आप सफाई करा लें उसका भुगतान करा दिया जायेगा।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि कुओं की सफाई के लिए दो बार दैनिक जागरण, अमर उजाला में टेण्डर निकाल कर विज्ञापन प्रकाशित कराया गया लेकिन इस कार्य हेतु कोई भी टेण्डर नहीं डाल रहा है। यदि सदन के संज्ञान में कुओं की सफाई करने वाला कोई हो तो उससे कार्य करा लेंगे व उसका भुगतान करा दिया जायेगा।

श्री रवि शर्मा विधायक जी ने कहा कि इस कार्य में व्यय अधिक होगा व कम राशि मिलने से कोई तैयार नहीं है। यदि इसका कोई निदान हो तो निकाल लीजिये।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि किसी भी टेण्डर/कार्य के लिए रोटेशन के अनुसार एक छोटे और एक बड़े पेपर में विज्ञापन दिया जाता है लेकिन इसका विज्ञापन दोनो बड़े अखबारों में प्रकाशित कराया गया है।

श्री रवि मौर्या पार्षद ने कहा कि सदन की बैठकों में जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होते है लेकिन उन पर अधिकारी कार्यवाही/कार्य नहीं करते है, क्या वजह है?

श्री रवि शर्मा विधायक जी कहा कि आपके कौन से ऐसे प्रस्ताव है।

श्री लखन कुशवाहा पार्षद ने कहा कि दिनांक 26.11.2014 में स्वीकृत प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गयी है।

श्री रवि शर्मा विधायक जी कहा कि जनहित के आपके सारे प्रस्तावों पर कार्य होगा।

श्री रवि मौर्या पार्षद ने कहा कि जो प्रस्ताव पास है। उन पर कब तक कार्य कराया जायेगा तथा जो प्रस्ताव देते है। उनको एजेण्डे में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

श्री शैलेन्द्र राठौर नामित पार्षद ने कहा कि नगर आयुक्त जी ने हमसे कहा था कि कार्य नहीं हो रहे है तो आप इस्तीफा दे दें।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा आप ने ही यह बात कही थी।

08-4-15

श्रीमती किरन राजू बुकसैलर

श्रीमती वन्दना यादव पार्षद ने कहा कि हमारे साथ बेइज्जती करने वाले अधिकारी सदन की बैठक में उपस्थित है।

श्री बालस्वरूप पार्षद ने कहा कि यह हम पार्षदों के साथ ज्यादती है।

नगर आयुक्त जी ने बैठक को सुचारू रूप से चलने एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न हेतु श्री आर. के. सिंह सहायक अभियन्ता को बैठक से जाने को कहा।

श्री आर.के. सिंह सहायक अभियन्ता सदन की बैठक से बाहर चले गये।

व्यापार मण्डल झांसी के प्रतिनिधि समस्याओं के सम्बन्ध में मा0 महापौर को ज्ञापन देने सभा कक्ष के सामने आकर नारेबाजी करने लगे।

श्री रोहन सिंह कार्य0 अपर नगर आयुक्त ने सभा कक्ष के दरबाजे पर आकर उनसे ज्ञापन लेकर महापौर तक पहुंचाने का अनुरोध किया। लेकिन व्यापार मण्डल के पदाधिकारी नहीं माने वह सभा कक्ष में अन्दर आकर मा0 महापौर के समक्ष नारेबाजी करने लगे। उन्होंने मा0 महापौर जी को समस्याओं के सम्बन्ध में ज्ञापन प्रस्तुत किया।

व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के जाने के बाद सभाकक्ष में पार्षदगण सफाई व्यवस्था को लेकर नारे लगाने लगे।

श्री भरत यादव पार्षद ने कहा कि जनहित के प्रस्तावों पर चर्चा होनी चाहिए।

विधायक श्री रवि शर्मा ने सदन को सम्बोधित करते हुए कहा कि सदन की गरिमा बनायें रखना हमारा परम कर्तव्य है। बाहर के लोगों के समर्थन में खड़ा होना गरिमा के खिलाफ है। हम जनहित के निर्णय लेने हेतु बैठे है सारी बातें सुनेंगें जो हमसे मतलब की होगी। वह जरूर पूरी होंगी। एक तरफ से वार्ड वाइज समस्यायें रखी जायें।

श्री बालस्वरूप साहू पार्षद ने कहा कि झांसी के विकास की बात होना चाहिए।

श्रीमती सीमा पार्षद वार्ड नं0 19 ने कहा वार्ड में कोई सर्वे करने नहीं गया। ढाई वर्ष बीत गया। वार्डों में निर्माण कर घटिया स्तर का है। कुंओं की सफाई नहीं हो रही है। सभी वार्डों में समान कार्य होना चाहिए।

विधायक श्री रवि शर्मा ने कहा कि आपके वार्ड में शौचालय बना है कि नहीं।

श्रीमती अफरोज बेगमं पार्षद वार्ड नं0 57 ने कहा कि वार्ड में शौचालय नहीं है। सफाई कर्मचारी का ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके स्थान पर दूसरा कर्मचारी नहीं भेजा गया है। किसी काम में यदि पार्षद पति नहीं आयेंगे तो मेयर पति पर भी रोक लगाई जानी चाहिए।

Seema
06-4-18

श्रीमती किरन राजू बुकसेला

श्रीमती रेखा श्रीवास पार्षद ने कहा कि वार्ड में हैण्डपम्प व बिजली के खम्भें लगाये जाये।

श्रीमती किरन पार्षद वार्ड 41 ने कहा कि हमारे वार्ड में लोग् खुले में शौच को जाते है। अतः शौचालय का निर्माण कराया जाये। वार्ड नं0 18 गुदरी में स्कूल चल रहा है उसे वार्ड नं0 41 में जगह देकर स्कूल बनाईये। अमन का बगीचा से निकले नाले में बहुत गन्दगी है। उसकी सफाई कराई जाये।

श्री रवि शर्मा विधायक जी ने कहा कि सभी वार्डों के नालों की सफाई कराई जायें।

श्रीमती सुनीता पार्षद ने कहा कि वार्ड नं0 60 में हैण्डपम्प क्यों नहीं लगा है, बताया जायें।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि जल निगम को शेष हैण्डपम्प लगाये जाने के लिए पत्र दिया है। जो शीघ्र लग जायेंगे।

श्रीमती सुनीता पार्षद ने कहा कि मोहल्ले में माधौं बेडिया क्षेत्र में 16 लाख का काम नहीं हुआ। इसकी जांच कराई जाये।

श्री रवि शर्मा विधायक जी ने कहा कि आप लिखकर दे दीजियें, जांच करा दी जायेंगी।

श्री त्रिपाठी अवर अभियन्ता ने कहा कि कल वार्ड में आकर आपके साथ चलूंगा।

श्रीमती नीता पार्षद ने कहा कि सभी वार्डों में विधायक निधि से कोई काम करायें।

श्री रवि शर्मा विधायक जी ने कहा कि सभी वार्डों में एक–एक हैण्डपम्प विधायक निधि से लगवा दिये जायेंगे। जिसपर नामित पार्षदों ने भी एक–एक हैण्डपम्प लगवाये जाने का अनुरोध किया। विधायक जी ने विधायक निधि से 70 हैण्डपम्प लगवायें जाने का आश्वासन दिया।

श्रीमती वंदना यादव पार्षद ने कहा कि गढ़िया फाटक से शंकर जी के मन्दिर तक पक्का रोड़ चाहिये तथा वार्ड में खाली खम्भों पर लाइटें मांगी थी। जो अभी तक नहीं लगी।

नगर आयुक्त जी ने कहा मा0 विधायक जी बैठे है, उक्त कार्य विधायक निधि से करा लिया जायें।

श्री रवि शर्मा विधायक जी ने कहा कि आपके वार्ड में कितने खम्भें खाली है।

श्रीमती वंदना यादव पार्षद ने कहा कि लगभग 80 खम्भे खाली है।

श्री रवि शर्मा विधायक जी ने कहा कि प्रमुख स्थानों पर लाइटें लगा दी जायें।

श्रीमती वंदना यादव पार्षद ने कहा कि मंदिर के बगल से तलैया मोहल्ले में प्लाटिंग हो रही है।

श्री रवि शर्मा विधायक जी ने कहा कि आप लिखकर दे दीजियें।

Verma
06-4-15

की बैठक 9–11 रेस्टोरेन्ट के पास पार्क बनाकर निर्माण कार्य कराया जायें। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास है लेकिन अभी तक कार्य नहीं हुआ। मा0 महापौर महोदया आप जानकारी कर सकती हैं। मैने जन सूचना अधिकार के अन्तर्गत तहबाजारी की परिभाषा जानकारी चाही थी जिसका गोलमाल जवाब दिया गया है। दिनांक 26.11.2014 सदन की बैठक में 9–11 रेस्टोरेन्ट के पास पार्क नाली निर्माण कराये जाने का सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया लेकिन कार्य नहीं कराया जा रहा है।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत मा0 विधायक बबीना ने कहा कि मैंने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया था जिसके जवाब में नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि प्रस्ताव सदन में पारित किया गया है। झांसी विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित कर दिनांक 23.12.2014 को कतिपय अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है। सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को कोई दोष नहीं है।

श्री बालस्वरूप पार्षद ने कहा नेहरू पार्क के पास नगर निगम की रोड साइड पटरी पूरी पटरी खाली पड़ी है उस पर सब्जी मण्डी के किरायेदारों को शिफ्ट किया जाये तथा सीपरी बाजार सब्जी मण्डी कॉम्पलैक्स का निर्माण कराया जाये तथा कहा कि 9–11 रेस्टोरेन्ट के सामने चन्द लोग कब्जा किये हैं वह लोग उस जगह निर्माण कार्य नहीं करने देते हैं। सीपरी बाजार मार्केट में कहीं भी शौंचालय नहीं है।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि उस जगह पर अतिक्रमण हटाकर फिर से निर्माण का प्रयास कर लेते हैं क्षेत्र के विकास के मुद्दे के साथ–साथ **लॉ एन ऑर्डर** भी देखना पड़ता है।

श्री एम के जैन अवर अभियन्ता ने कहा कि सीपरी बाजार में जहां–जहां जगह खाली थी वहां पर दो–दो शौंचालय महिला / पुरूष बनवाये गये हैं।

श्री बालस्वरूप पार्षद ने कहा कि चमनगंज पुलिस चौकी के पीछे नगर निगम की जमीन पड़ी है।

श्री रवि शर्मा सदर विधायक ने कहा कि आपकी समस्या का समाधान किया जा रहा है।

श्री बालस्वरूप पार्षद ने कहा कि वार्ड नं0 53 की सफाई की समस्या को देखते हुए 05 सफाई कर्मचारी संविदा पर लगाये गये थे। जिन्हे हटा दिया गया है वार्ड में सफाई की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुयी हैं। सीपरी बाजार सब्जी मण्डी में सफाई की अव्यवस्था को देखते हुए सफाई कर्मचारी लगाये गये हैं जिस पत्रावली पर सफाई कर्मचारी लगाये गये थे उस पर ए टू जेड तक सभी की संस्तुति हुयी है अतः संविदा सफाई कर्मचारी को वापस लिया जाये।

श्री भरत यादव पार्षद ने कहा कि दिनांक 26.11.2014 को सदन की बैठक में वार्ड नं0 01 से श्रीनगर वार्ड को जोड़ने को प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था जो आज तक ठण्डे बस्ते में पड़ा है। अतः प्रस्ताव पर कार्य कराया जाये।

Verma
06-4-16

श्री भरत यादव पार्षद ने कहा कि वार्ड नं0 01 में बाल्मिकी मंदिर के पास गंदगी रहती है 10 मी0 नाली व सड़क निर्माण होना है। वार्ड में मेन रोड से रामस्वरूप के मकान तक अतिक्रमण हटवाकर सड़क बनवायी जाये।

नगर आयुक्त जी ने बताया कि उक्त कार्य का आगणन रू 14,83,000 का बन चुका है। कार्य टेण्डर प्रक्रिया में है।

श्री भरत यादव पार्षद ने कहा कि मकान के पास एक नाला बना था उसे तोड़ दिया गया है उसे बनवाया जाये।

श्री अवधेश अवर अभियन्ता ने कहा कि वहां पर 25–30 मी0 पत्थर है उसे तुड़वाकर बनवाना पड़ेगा।

श्री भरत यादव पार्षद ने कहा कि उक्त कार्य लगभग 1–2 लाख का है।

भोजन उपरान्त दर्जनों पार्षदों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र जो नगर आयुक्त को सम्बोधित है। ज्ञापन सौंपते हुए मांग की सदन की बैठकों में संविधान के अनुसार सभासदों के बैठने का स्थान निर्धारित होना चाहिए। मनोनीत पार्षदों को बैठक में अपना मत प्रकट करने का अधिकार है न कि निर्माण सम्बंधी प्रस्ताव देने का इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाये एवं इनके बैठने का स्थान भी निश्चित होना चाहिए।

नगर आयुक्त द्वारा सदन के संज्ञान में लाया गया कि शासनादेश के अनुसार मनोनीत पार्षदों को कार्यकारिणी समिति के निर्वाचन में वोटिंग करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। बैठने सम्बन्धी कोई आरक्षण का शासनादेश संज्ञान में नहीं है।

श्री उदयभान पार्षद ने कहा कि वार्ड नं0 26 कोछाभांवर में आश्रम पद्धति इन्टर कॉलेज से पं0 वासुदेव तिवारी कॉलेज तक रू 5,65,300 का टेण्डर लगवाया जाये। वार्ड नं0 26 में 47% दलित वार्ड है अतः 18 शीटर सुलभ शौचालय का निर्माण कराया जाये। वार्ड में विद्युत खम्भों की व्यवस्था करायी जाये तथा एक डी.पी. रखी जाये प्रस्ताव के अनुसार वार्ड में पार्क का निर्माण कराया जाये। पार्क के लिए चिन्हित स्थल पर से अतिक्रमण कर रहे व्यक्ति को हटाया जाये।

श्री आनन्द साहू पार्षद ने कहा कि मा0 विधायक जी विधानसभा में प्रश्न करने पर मिनट में छेड़खानी की जाती है क्या? अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में जाने की जानकारी नहीं दी गयी कार्यकारिणी से पुनरीक्षित बजट पास करा लिया गया। कार्यशाला में जाने के बाद क्या फायदा हुआ है। सदन की बैठक में स्ट्रीट लाइट टेण्डर में रू 1 करोड़ की शर्त लगायी थी जिसे हटाकर पास कर दिया गया। रिलायंस कम्पनी द्वारा नगर की अधिकांश सड़के खोद दी गयीं जिसकी सिक्योरिटी राशि जब तक जब्त रखी जाये जब तक पार्षदों की संस्तुति न हो। सदन के प्रस्ताव को कार्यकारिणी में लाकर पास किया जा सकता है क्या? पार्षदों द्वारा की गयी शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं होती। रिवाइज बजट कार्यकारिणी द्वारा पारित रू 02 करोड़ को निरस्त करते

26-4-15

श्री केशव प्रसाद सदन प्रभारी ने जैसे ही बैठक के ऐजेण्डा बिन्दु सं0 05 को पढ़कर सुनाया सभा कक्ष में उपस्थित मा0 पार्षद गणों द्वारा शोरगुल एवं हंगामा शुरू कर दिया व नारेबाजी करने लगे प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका।

अतः मा0 महापौर जी ने बैठक में उपस्थित श्री रवि शर्मा मा0 विधायक सदर, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत मा0 विधायक बबीना, मा0 पार्षदगणों/नामित पार्षदों एवं उपस्थित पत्रकार बन्धुओं का हार्दिक स्वागत करते हुए सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की।

(श्रीमती किरन राजू बुकसेलर)
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी।